कार्यालय अधीक्षक सब जेल—खुरई, जिला—सागर(म.प्र.)

क्रमांक / 361 / निर्वाह / 2026 खुरई, दिनांक 13 / 05 / 2026

— :: ई—टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना :: —

द्वितीय — वार्षिक ठेका वर्ष 2026—27

समस्त पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को सूचित किया जाता है, कि सबजेल, खुरई में परिरूद्ध बंदियों हेतु म.प्र जेल आपूर्ति नियम 1968 तथा म.प्र भण्डार क्रय नियम 2015 के तहत खाद्यान सामग्री, सब्जी सामग्री औषधियों एवं दवाईयों की आपूर्ति हेतु वर्ष 2026—27 मे द्वितीय वार्षिक निविदा ई—टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा की जानकारी वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** पर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रं.	विवरण	दिनांक / समय	स्थान
01	ऑनलाईन निविदा प्रकाशन ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की प्रांरभ तिथि	दिनांक 18 / 05 / 2026	वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** पर प्राप्त की सकेगी।
02	प्री—बिड मिटिंग	दिनांक 25 / 05 / 2026 दोपहर : 12:00 बजे से	कार्यालय अधीक्षक, सबजेल, खुरई
03	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ई—निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख तक रुपये 500 / — एवं,05लाख से अधिक रुपये—1000 / — प्रति निविदा फार्म क्रय मूल्य ऑनलाइल लेख शीर्ष 0056 जेलें 008 अन्य प्राप्तियां में जमा करना होगा।	दिनांक 02 / 06 / 2026 शाम: 05:30 बजे	**www.mptenders.gov.in** पर प्राप्त की जा सकेगी।
04	नमूना / सैंपल जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02 / 06 / 2026 दोपहर 05:30 बजे	अधीक्षक कार्यालय, सबजेल, खुरई
05	ऑनलाईन निविदा तकनीकी खोलने की की तिथी	दिनांक 04 / 06 / 2026 दोपहर 12:00 बजे तक	अधीक्षक कार्यालय, सबजेल, खुरई

नोटः— 1. ई—निविदा फार्म उपर दर्शित वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** पर ऑनलाईन सिस्टम पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते है। निविदा एवं उससे संबंधित समस्त जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाईट पर देखे। निविदा संबंधी समस्त कार्यवाही जेल अधीक्षक कार्यालय, सब जेल, खुरई द्वारा की जायेगी।

B Singh

सहायक अधीक्षक

सब जेल खुरई

जिला सागर

-: निविदा शर्ते :-

1. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए खाद्यान्न सब्जियॉ दवॉईयॉ एवं अन्य सामग्री के क्रय की कार्यवाही म.प्र.जेल पूर्ति नियम 1968 एवं मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 तथा सेवा उपार्जन नियम 2015(यथा संशोधित 2022) के अंतर्गत ई–टेण्डरिंग के माध्यम अर्थात ऑन लाईन की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रू 500 एवं 5 लाख से अधिक रू 1000 प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेले 800 अन्य प्राप्तियॉ मे जमा करना होगा।
3. निविदाए खंडवार पृथक पृथक ऑन लाईन जमा की जाएगी। निविदा मे 3 प्रतिशत बयाने की राशि खंडानुसार {HYPERLINK "http://www.mptenders.gov.in"} पर ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी । 3 प्रतिशत बयाने की राशि(Earnest Money Deposit) अर्थात बयाने की राशि का विवरण निम्नानुसार है

क्रं	खंड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत बयाने की राशि
01	खाद्यान्न	30,00,000	90,000
02	सब्जी	6,00,000	18,000
01	दवाईयॉ उपकरण लैब सामग्री एवं चिकित्सीय	3,00,000	9,000
02	स्वच्छता सामग्री	9,00,000	27,000

4. वार्षिक ई निविदा मे दर्शाई गई बस्तुओ के भाव अधिकतम 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो वैध रहेगे।
5. खाद्यान्न वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिये। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरे ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी । निविदा मे जो दरे प्रस्तुत की जाए वे समस्त करो सहित होनी चाहिए प्रथक से कोई कर देय नही होगा।
6. उन्ही निविदाकारो की निविदा स्वीकृत होगी जो वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ पिछली तिमाही का जी.एस.टी.रिटर्न प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
7. निविदाऍ संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियो एव क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएगी। परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित मे चस्पा कर दी जायेगी। एवं निविदाकार को अनिवार्य रूप से सूचित किया जावेगा।
8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम 1894 की धारा–10एवं जेल मुख्यालय म. प्र.के भोपाल के परिपत्र क्रं 05/वारंट –3/2015 दिनॉक 28.01.2015 के प्रावधान के क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) मे पृथक पृथक 50–50 रू के नान ज्युडीशियल स्टाम्प पर मुल प्रति मे नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से दिया जावेगा। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नही होगी। शपथ पत्र का प्रारूप www.mptenders.gov.in देखा जा सकता

:: शपथ पत्र अ::

(कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं...जो केन्द्रीय/जिला/सबजेल ....के लिये सामग्री प्रदाय करने हेतु फर्म...की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा करने वाली फर्म.. के मालिक/भागीदार अथवा निकट परिजन मध्यप्रदेश में जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के पद पर नियोजित नहीं हैं।

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)

14. निविदा में दर्शाई गई माल की मात्रा अनुमानित है, आवश्यकता पड़ने पर माल की मात्रा कम या अधिक की जा सकेगी। सफल निविदाकार को निर्धारित अवधि मे सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनूरूप करना होगा । कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नही की जावेगी। अस्वीकृत माल निविदाकार को अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बजार से माल क्रय किया जाकर भासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित निविदाकार से की जावेगी। यह वसूली भू--राजस्व के बकाया के रूप मे या उसकी जमा निश्पादन प्रतिभूति राशि मे से की जा सकेगी साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

15. सब्जियां साफ, स्वच्छ एवं ताजी प्रदाय करनी होगीं जो प्रतिदिन प्रातः 7:00 से 9:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुँचानी होगीं। निर्धारित समय तक सब्जियॉ प्राप्त न होने पर बंदियो की भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिए खुले बजार से से क्रय की जाएगीं जिस पर हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार का देय किसी भी रकम से की जा सकेगी । ठेकेदार द्वारा विलम्ब से भेजी गई सब्जियां वापिस कर दी जावेगीं जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगें। जेल बगीचे से सब्जियॉं उपलब्ध न होने की दशा मे ही ठेकेदार से क्रय की जाएगी।

16. दवॉईयो एवं चिकित्सीय सामग्रियो की निविदॉ हेतु निविदाकार को वैध ड्रग लायसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवॉइयो मे एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक बर्श से अधिक की नियत की गई हो ऐसी दवॉईयो की प्रदायगी मे सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक बर्श भोश होना आवश्यक है। दवॉईया एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके मे एम.आर.पी.से अधिकतम डिस्काउन्ट देने बाले निबिदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी। निविदाकार को अस्पताल में भर्ती बंदियो तथा जेल मे गंभीर रुप से बीमार बंदियो हेतु मॉग किये जाने पर तत्काल दवॉईयो की पूर्ति करनी होगी।

17. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुयें शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही व्यापारियों से क्रय की जावेगी।

18. जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो उसे 10 दिवस के अंदर 100 रूपये के नॉन ज्युडीशियल स्टांप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी एक प्रति जेल कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

19. सशर्त निविदा मान्य नही की जावेगी। ठेके की भार्तो के कियान्वयन के लिए सफल निविदाकर्ता निविदा मे लेख रकम के बराबर का भोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले मे निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति डिमांड ड्राफट/मियादी जमा रसीद /बैकर्स चेक/बैक गारंटी/irrevocable के रूप मे देगा बैक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैक से कराया जावेगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्ष के नाम से देय होगा। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी

20. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाये मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी । निविदा खुलने के पश्चात यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता निविदा वापिस लेते हुए करारनामा भरने एवं निश्पादन प्रतिभूति जमा करने से इंकार करता है तो उसका टैंडर निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गई 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जाएगी ओर संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।

21. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तिया समझौते के अनुसार कि तो मे आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इंडेट के आधर पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी भाडा देय नही होगा। इंडेट प्राप्त करने की जबाबदारी निविदाकार की होगी।

22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार हेतु अपने अधिकृत मोबाईल नंबर/whatsapp number/Email ID देना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत माध्यमो पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनो के लिए मान्य होगी।

23. देयको का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई--पेमंट के माध्यम से किया जावेगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा काटा जावेगा। बिशेष परिस्थिति मे भुगतान हेतु डिमांड ड्राफट /बैकर्स चैक पर बैक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयको के भुगतान मे विलंब होने के कारण वस्तुओ का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नही होगा।

24. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।

25. निविदा तथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

BS
सहायक अधीक्षक
सब जेल खुरई

जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र 27959/निर्वाह शाखा/2025 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा निविदा मे पारदर्शिता अपनाने एवं भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु उक्त शर्तो के अतिरिक्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है जिन्हे निविदा मे भाग लेने वाले समस्त निविदाकार की ओर पालन करने हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

1. निविदा समाचार पत्रों मे प्रकाशन होने से पिछले 03 माह का जी.एस.टी.प्रस्तुत करना होगा न कि निविदा प्रकाशन के 03 माह के ओर पहले का जी.एस.टी.प्रस्तुत किया जावेगा तो ऐसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2. यदि किसी निविदाकार द्वारा किसी सामग्री की दर प्रस्तुत नही की जाती है तो दर के स्थान पर शून्य का उपयोग न करते हुए NOT QUOTED के विकल्प के प्रयोग किया जाये। जिससे एल–1 प्रभावित न हो सके।
3. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र–अ एवं ब के प्रथम एवं द्वितीय दोनो पृष्ठो की प्रति प्रस्तुत करना होगा जिससे नोटरीकृत है अथवा नही है स्पष्ट हो जाये एवं निविदा प्रकाशन तिथि के उपरांत बनाये गये शपथ पत्र ही मान्य किये जावेगे पूर्व के वर्ष मे बनाये गये शपथ पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

सहायक अधीक्षक
सबजेल खुरई
जिला सागर(म.प्र)

Signature Not Verified

Digitally signed by BRIJENDRA SINGH
Date: 2026.05.19 12:51:01 IST
Location: Madhya Pradesh-MP